उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404
Website- psc.uk.gov.in

पत्रांक : 142/46/ई–1/डी0आर0(पी0सी0एस0)/2020–21 दिनांक : 12 जुलाई, 2024

विज्ञप्ति

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021'

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2021' के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों में से पुलिस उपाधीक्षक एवं कारागार अधिकारी पद हेतु वरीयता देने वाले 651 अभ्यर्थियों हेतु विज्ञप्ति संख्या– 130/46/ E-1/ DR(PCS)/ 2020-21, दिनांक 09 जुलाई 2024 द्वारा शारीरिक मापदण्ड परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया था।

2. उक्त विज्ञप्ति में 03 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक **(125633, 156149 एवं 249631)** तकनीकी त्रुटि के कारण अंकित हो गया था जबकि आयोग कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या–62/46/ E-1/ DR(PCS)/2020-21, दिनांक 28 मई, 2024 एवं विज्ञप्ति संख्या–108/46/ E-1/ DR(PCS)/2020-21, दिनांक 26 जून, 2024 द्वारा उक्त 03 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जा चुका था। अतः उक्त अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक शारीरिक मापदण्ड परीक्षा कार्यक्रम से विलोपित समझा जाये। अवशेष 648 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड परीक्षा दिनांक 09 जुलाई, 2024 द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार की जायेगी।

3. अवगत कराना है कि निम्नांकित अभ्यर्थियो द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में शारीरिक मापदण्ड एवं ऊंचाई में छूट के दावे के सापेक्ष आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि 28.12.2021 तक निर्गत पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण शारीरिक मापदण्ड एवं ऊंचाई में छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

112840	138519	141656	142325	204863
205967	246890	252147	–	–

अतः उक्त अभ्यर्थी सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित मानक के आधार पर शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

4. विज्ञप्ति संख्या– 130/46/ E-1/ DR(PCS)/ 2020-21, दिनांक 09 जुलाई 2024 द्वारा शारीरिक मापदण्ड परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष शारीरिक मापदण्ड परीक्षा के अन्तर्गत शारीरिक स्वस्थता से सम्बन्धित मानदण्डों के आधार पर अपने–अपने जनपदों में अवस्थित जिला चिकित्सालय में गठित चिकित्सा परिषद द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल रूप में दिनांक 05 अगस्त, 2024 (सोमवार) तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस–सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक अनुभाग के काउन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।

शारीरिक स्वास्थ्यता से सम्बन्धित मानदण्डों के सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की गयी है। अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन करना अवश्य सुनिश्चित करें।

Sd/-
(जी0 एस0 रावत)
सचिव।